प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 15.08.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.08.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त संजय यादव पुत्र दारा सिंह निवासी म0न0 एफ-1,83 आरसी 5 गली न0 9 गीताजंली विहार थाना खोड़ा मूल निवासी गाँव चिचोरा थाना डोलना कासगंज उम्र 23 वर्ष को मेवाड़ कॉलेज के पास इन्दिरापुरम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संजय यादव पुत्र दारा सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

संजय यादव पुत्र दारा सिंह निवासी म0न0 एफ-1,83 आरसी 5 गली न0 9 गीताजंली विहार थाना खोड़ा मूल निवासी गाँव चिचोरा थाना डोलना कासगंज उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त संजय यादव पुत्र दारा सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट व धोखाधड़ी / आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना खोडा पर धोखाधड़ी / आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना कोतवाली पर धोखाधड़ी / आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2024 को वर्ल्ड स्कवायर मॉल में महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था। जिसका दिनांक 13.08.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुये अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 15.08.2024 को

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर महिला के साथ छेड़खानी करने वाला वाँछित अभियुक्त ललित कुमार पुत्र लहोरी दास निवासी बी 860 दीनदयाल पुरी नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूलपता मो0 खत्रीवाडा सिकन्दराबाद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष को नागद्वार हिन्डन पुल के पास साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार पुत्र लहोरी दास उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं शराब के नशे में था। मॉल के अन्दर शराब के नशे में मेरे द्वारा यह कृत्य हो गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

ललित कुमार पुत्र लहोरी दास निवासी बी 860 दीनदयाल पुरी नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूलपता मो0 खत्रीवाडा सिकन्दराबाद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मोबाईल लूट की घटना का सफल अनावरण कर 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया 01 मोबाईल फोन बरामद

दिनांक 14.08.24 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री लक्ष्मन कुमार पुत्र डोडाई यादव निवासी पानी की टंकी रेल विहार अंकुर विहार ने तहरीर दी कि 02 अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों ने मेरे हाथ पर झपट्टा मारा और मेरा मोबाइल लेकर भाग गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा माल व अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 14/15.08.2024 की रात्रि मे थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों 1. लोकेश पुत्र ताराचंद निवासी गली न0 2 अम्बिका विहार, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली 2. सुन्दर पुत्र पूरन निवासी गली न0 7 फेज 4 यू ब्लाक शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली को कृष्णा चौक डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर यह मोबाइल दिनांक 14.08.2024 को दिन में कृष्णा चौक डीएलएफ के पास से एक राह चलते एक व्यक्ति से छीना था, जिसे हम राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामों पर बेच कर पैसा कमाने की फिराक में थे।

<u>अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. लोकेश पुत्र ताराचंद निवासी गली न0 2 अम्बिका विहार, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष।

2. सुन्दर पुत्र पूरन निवासी गली न0 7 फेज 4 यू ब्लाक शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

लूटा गया एक मोबाइल

आपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।